न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 73 / 2024 तारीख रजू :- 30-5-2024

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024 /

उनवान

रामाधार उर्फ जमादार सिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—सायल

बनाम

मदनसिंह पुत्र सुगरसिंह जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान् 05

दिनांक	फर्द अहकाम	
30-5-2024	आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री संजय शर्मा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। मजाहमत मदाखलत नही करने, शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने , एवं रहनव्यय नही करने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1217 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन में उभयपक्षो को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
24/6/24	पत्रावली आज मिसल तलबी के प्रयोजन पर पेश हुई। सायल व सायल वकील श्री 1 कादुर व सायल वकील प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। सायल व सायल वकील प्रकरण वापस लेने में आमादा। [illegible] 73/24 रामाधार बनाम मदनसिंह [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर की जाय।	
Not press 24/6/24		

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested